न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
13/01/26 पत्रावली पेश। वकु० उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली लम्बे समय से तलबी के अन्तर्गत विचाराधीन है। अत: प्रकरण 01RS के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो कर बाद पूर्ति जमा रिकॉर्ड भण्डार हो। SDO	

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजगढ जिला अलवर

अशोक कुमार बनाम रूपसिंह वगै0

किस्म मुकदमा.................................नं................................ सन्.....................

26.7.2018 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. का वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 33/1.01 है0 वाके ग्राम घेवर तहसील राजगढ जिला अलवर से वादी को जबरन बेदखल नही करे न स्वयं कब्जा करे तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त मे रूकावट वो मजाहमत नही करे किसी प्रकार से झगडा पिसाद ना करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी व बहस वकील प्रार्थी एक पक्ष मे सुनी गई । पत्रावली का अवलाकन किया गया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र व दस्तावेज हाल जमाबन्दी पर अंकित इन्द्राज पर विश्वास करने पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे होना प्रतित होता है । अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 26.8. 3018 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी से वादी को ज़बरन बेदखल नही करे न स्वयं कब्जा करे तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त मे रूकावट वो मजाहमत नही करे ।साथ मे अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब हो कि उन्हे इस सम्बन्ध मे कोई एतराज हो तो दिनांक 26.8.2018 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक ...11.1.0.1.8
को पेश हो

S.D.O.

11/10/18

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। अतः आगामी दिनांक 17.11.2018
को पेश हो। 1

रीडर

17/11/18

पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश/दौरे पर है अतः आगामी दि0 ...1.12.18
को पेश हो

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
13/01/26 पत्रावली देखी। मूलवाद 09 RS के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नियम से कम हो कर बाद प्रति मूलवाद के साथ संलग्न हो।	